अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगनेर मुकाम जयपुर व इजलास महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या : 113/2014

श्रीमति गीता देवी पत्नी रामकिशोर, जाति जाट, निवासी ग्राम हाज्यावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादिया

बनाम

1. रामनारायण पुत्र श्री छोटया
2. शंकर पुत्र श्री छोटया
3. श्रीमति केली देवी पत्नि स्व0 श्री छोटया
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम हाज्यावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. भागचन्द चौधरी पुत्र श्री किशनलाल चौधरी, जाति जाट, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।
5. रामेश्वर पुत्र गोरधन, जाति जाट, निवासी ग्राम टिलावास, तहसील सांगानेर, जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय सांगानेर व हाजिरी वकील वादिया मिन जानिब मुदई रूबरू मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अतः वादिया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से डिक्री किया जाता है कि वादिया को वाके ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 592 रकबा 1.08 है0, खसरा नम्बर 593 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 594/700 रकबा 0.23 है0 कुल मिलाकर कुल रकबा 1.71 है0 में 381/1020 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..... को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ओहदा.....

Signature Not Ve
Digitally signed by Ma
Date: 2024.02.02 10
Reason: SelfAttested

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वहसबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हरदी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal
Date: 2024.02.02 10:51:16
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस
वाद पत्र संख्या : 113/2014
निर्णय दिनांक : 06/12/2023

1. श्रीमति गीता देवी पत्नी रामकिशोर, जाति जाट, निवासी ग्राम हाज्यावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादिया

बनाम

1. रामनारायण पुत्र श्री छोटया
2. शंकर पुत्र श्री छोटया
3. श्रीमति केली देवी पत्नि स्व0 श्री छोटया।
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम हाज्यावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. भागचन्द चौधरी पुत्र श्री किशनलाल चौधरी, जाति जाट, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।
5. रामेश्वर पुत्र गोरधन, जाति जाट, निवासी ग्राम टिलावास, तहसील सांगानेर, जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादिया ने ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में जरिये विक्रय पत्र दिनांक 17.02.2007 को हाल आराजी कृषि भूमि हाल खाता संख्या 150 के खसरा नम्बर 592 रकबा 1.08 है0, खसरा नम्बर 593 रकबा 0.40 है0, व हाल खाता संख्या 139 के खसरा नम्बर 594/700 रकबा 0.23 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.71 है0 वाके ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में हिस्सा 1/5 का 3/4 भाग क्रय किया था जिसका नामान्तरकरण वादिया के पक्ष में खोल दिया गया तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी अमल कर दिया गया। परन्तु वादिया का हि[illegible] में 381/1020 दर हिस्सा 639/1020 लिख दिया जा[illegible] है तथा [illegible] भी सहखातेदारों का हिस्सा मिलान नही होता है। हाल खाता संख्या 139 के [illegible] 593 रकबा 0.40 है0 खसरा नम्बर 594/700 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादिया [illegible] हिस्सा 2353/6300 है। प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 1581/12600 व प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा 1/5 है प्रतिवादी संख्या तीन का हिस्सा 315/6300 है प्रतिवादी संख्या चार का हिस्सा 3163/12600 है। जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 के हाल खाता संख्या 150 के खसरा नम्बर 592 रकबा 1.08 है0 वाके ग्राम हरगुन की नांगल,

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:51:16 IST
Reason: SelfAttested

तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादिया का हिस्सा 381/1080 दर हिस्सा 639/1020 व प्रतिवादी संख्या पांच का हिस्सा 59/1080 दर हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा 157/1080 दर हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या तीन का हिस्सा 1/20 व प्रतिवादी संख्या चार का हिस्सा 1278/5100 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो गलत है। हाल खाता संख्या 150 के खसरा नम्बर 592 रकबा 1.08 है0 वाके ग्राम हरगुन की नांगल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादिया का हिस्सा 4034/10800 बनता है, प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 2711/21600 है, प्रतिवादी संख्या दो का हिस्सा 785/5400 है, प्रतिवादी संख्या तीन का हिस्सा 540/10800 है, प्रतिवादी संख्या चार का हिस्सा 5421/21600 है तथा प्रतिवादी संख्या पांच का हिस्सा 295/5400 है। वादिया ने उक्त आराजीयात जरिये विक्रय पत्र क्रय की थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने वादिया का राजस्व रिकॉर्ड में गलत हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि वादिया का खाता संख्या 139 के खसरा नम्बर 593 रकबा 0.40 है0 व खसरा नम्बर 594/700 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादिया का हिस्सा 2353/6300 व खाता संख्या 150 के खसरा नम्बर 592 रकबा 1.08 है0 वाके ग्राम हरगुन की नांगल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादिया का हिस्सा 4034/10800 बनता है जिसको दुरूस्त करने के लिए वादिया ने प्रतिवादी संख्या छः के यहां प्रार्थना पत्र दिनांक 13.05.2014 को पेश किया तो प्रतिवादी संख्या छः ने उक्त दुरूस्ती करने के लिए मान्य न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत के लिए कहा इस कारण यह वाद वास्ते दुरूस्ती व घोषणा का पेश करना आवश्यक हुआ। वादिया घोषणा करवाने की अधिकारी है कि हाल खाता संख्या 139 में वादिया का हिस्सा 381/1020 दर हिस्सा 639/1020 के स्थान पर हिस्सा 2353/6300 व खाता संख्या 150 में वादिया का हिस्सा 381/1080 दर हिस्सा 639/1020 के स्थान पर वादिया के हिस्से 4034/10800 की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे और उसी अनुसार लगान निर्धारण करते हुये सीमा निर्धारण किया जावें। वादकारण दिनांक 13.05.2014 से शुरू होकर निरन्तर जारी है। अतः वादिया को वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जावें कि हाल खाता संख्या 139 के खसरा नम्बर 593 रकबा 0.40 है0 व खसरा नम्बर 594/700 रकबा 0.23 है0 में वादिया का हिस्सा 2353/6300 व हाल खाता संख्या 150 के खसरा नम्बर 592 रकबा 1.08 है0 वाके ग्राम हरगुन की नांगल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादिया का हिस्सा 4034/10800 की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे और उसी अनुसार लगान निर्धारण करते हुये सीमा निर्धारण किया जावें।

वादिया का वाद पत्र दर्ज किया जाकर दिनांक 17.06.2014 को प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 10.05.2017 को प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से श्री राकेश डुक्या एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 09.06.2016 को प्रतिवादी संख्या छः की ओर से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि वादिया द्वारा दिनांक 21.02.2007 को खसरा नम्बर 592 रकबा 1.08 है0, खसरा नम्बर 593 रकबा 0.40 है0, खसरा

Signature Not Ve
Digitally signed by Ma
Date: 2024.02.02 10:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नम्बर 594/700 रकबा 0.23 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.71 है0 में केली बेवा छोटया से 1/5 में 3/4 हिस्सा व रामनारायण, पांचू पि0 छोटया हिस्सा 2/3 भूरी बेवा भोलू, गणेश, ओमप्रकाश पि0 भोलू हिस्सा 1/3 अर्थात कुल 3/5 हिस्से में से 38/102 हिस्सा क्रय किया गया था। उक्त दोनों विक्रय पत्रों के अनुसार वादिया का हिस्सा 381/1020 बनता है। उक्त दोनोंविक्रय पत्रों के अनुसार वादिया का हिस्सा निकालने के बाद खातेदार केली बेवा छोटया का 1/20 व रामनारायण, पांचू पि0 छोटया हिस्सा 128/510, भूरी बेवा भोलू व गणेश, ओमप्रकाश पि0 भोलू का हिस्सा 64/510 शेष ही बचता है। खातेदारों द्वारा अपने हिस्से के बाद अन्य रजिस्ट्री करवाकर और भी विक्रय कर दिया गया है लेकिन वादिया का हिस्सा 381/1280 यथावत है लेकिन खाते के दर हिस्सा लगाकर गलत कर रखा है। अतः वादिया का हिस्सा 381/1020 किया जाना उचित होगा। दिनांक 11.10.2017 को प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में कोई विरोधाभासी अभिवचन नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। प्रकरण को साक्ष्यवादी में नियत किया गया। साक्ष्य वादी में वादिया ने अपना साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 18.10.2018 को वादिया की ओर से अन्य साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य वादी का अवसर बन्द किया गया। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

वादिया के अधिवक्ता ने बहस हेतु निवेदन किया, बहस वादिया अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादिया ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये वादग्रस्त भूमि हाल खाता संख्या 139 के खसरा नम्बर 593 रकबा 0.40 है0 व खसरा नम्बर 594/700 रकबा 0.23 है0 में वादिया का हिस्सा 2353/6300 व हाल खाता संख्या 150 के खसरा नम्बर 592 रकबा 1.08 है0 वाके ग्राम हरगुन की नांगल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादिया का हिस्सा 4034/10800 की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे और उसी अनुसार लगान निर्धारण करते हुये सीमा निर्धारण किये जाने का निवदेन किया।

हमने बहस वादिया अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि वादिया द्वारा अपने वाद के साथ जमाबन्दी व नामान्तरकरण की प्रति प्रस्तुत की है तथा विक्रय पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की है, वादग्रस्त भूमि में केली बेवा छोटया 1/5 भाग की खातेदार काश्तकार है जिससे वादिया द्वारा दिनांक 21.02.2007 को जरिये पंजीकृत विक्रय [illegible] माध्यम से केली बेवा छोटया का 1/5 हिस्से में से 3/4 भाग क्रय [illegible] है तथा वादग्रस्त भूमि रामनारायण, पांचू पि0 छोटया, भूरी बेवा भोलू, गणेश पुत्र ओमप्रकाश पुत्र भोलू 3/5 भाग के खातेदार काश्तकार है जिससे वादिया द्वारा दिनांक 21.02.2007 को जरिये पंजीकृत विक्रय के माध्यम से रामनारायण, पांचू पि0 छोटया, भूरी बेवा भोलू, गणेश पुत्र भोलू, ओमप्रकाश पुत्र भोलू का 3/5 हिस्से में से 38/102 भाग क्रय करना जाहिर होता है, इन तथ्यों की पुष्टि वाद पत्र के साथ संलग्न पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से होती है तथा तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि वादिया का उक्त वादग्रस्त आराजी में 381/1020 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahip
Date: 2024.02.02 10:51:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (सांगानेर)

होगा उचित होगा। वादिया का नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण में कोई त्रुटि नही है, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकन गलत है, सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सांगानेर की रिपोर्ट के आधार पर वादिया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया उचित प्रतीत होता है।

अतः वादिया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से डिक्री किया जाता है कि वादिया को वाके ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 592 रकबा 1.08 है0, खसरा नम्बर 593 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 594/700 रकबा 0.23 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.71 है0 में 381/1020 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामल किया जावें। इसी अनुरूप डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/12/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:51:16 IST
Reason: SelfAttested